



# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07022026-269879  
CG-DL-E-07022026-269879

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 534]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 5, 2026/माघ 16, 1947

No. 534]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 5, 2026/MAGHA 16, 1947

## आयुष मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 2026

का.आ. 563(अ).—केंद्रीय सरकार भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग अधिनियम, 2020 (2020 का 14) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और धारा 4 तथा 6 के अनुसरण में, भारत सरकार, आयुष मंत्रालय की अधिसूचना, जो का.आ. 2281 (अ), तारीख 11 जून, 2021 द्वारा, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित हुई थी, में निम्नानुसार और संशोधन करती है अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में -

पैरा 2 में, सारणी में:- (क) क्रम संख्या 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए; और (ख) उप-शीर्षक “धारा 4 की उप-धारा (3) के अधीन” के अधीन, क्रम संख्या 1, 2, 3 और 4 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियाँ, निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किये जायेंगे, अर्थात्:-

क्र. सं.	सदस्य का नाम	सदस्यता की प्रस्थिति
(1)	(2)	(3)
“1.	डॉ. मनीषा उपेन्द्र कोठेकर, आचार्य और विभागाध्यक्ष, दत्ता माधे आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, , नागपुर, महाराष्ट्र	अध्यक्ष”

धारा 4 की उप-धारा (3) के अधीन		
“1.	डॉ. अल्लमप्रभू गुड़ा, आयुर्वेद बोर्ड के अध्यक्ष;	पदन सदस्य
2.	आचार्य आसिम अली खान, यूनानी, सिद्ध एवं सोवा-रिग्पा बोर्ड के अध्यक्ष;	पदन सदस्य
3.	डॉ. मुकुल पटेल, भारतीय चिकित्सा पद्धति चिकित्सा मूल्यांकन एवं रेटिंग बोर्ड के अध्यक्ष;	पदन सदस्य
4.	डॉ. सुश्रुत कनौजिया, भारतीय चिकित्सा पद्धति नैतिकता और पंजीकरण बोर्ड के अध्यक्ष;	पदन सदस्य”

2. यह अधिसूचना आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. वार्ड.18011/8/2024-ईपी.III (भाग-2)]

सत्यजीत पाँल, उप महानिदेशक

**टिप्पण:** मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में तारीख 11 जून, 2021 की संख्या का. आ., 2281 (अ) द्वारा प्रकाशित की गई थी और तारीख 19 मार्च, 2024 की अधिसूचना संख्या सा. का. नि., 221 (अ) द्वारा इसे अंतिम बार संशोधित किया गया था।

## MINISTRY OF AYUSH

### NOTIFICATION

New Delhi, the 4th February, 2026

**S.O. 563(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 and in pursuance of sections 4 and 6 of the National Commission for Indian System of Medicine Act, 2020 (14 of 2020), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Ayush published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 2281 (E), dated the 11<sup>th</sup> June, 2021, namely:-

In the said notification,

In paragraph 2, in the table;— (a) for serial number 1 and the entries relating thereto; and (b) under the sub-heading “under sub-section (3) of section 4”, for serial numbers 1, 2, 3 and 4 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

Serial Number	Name of Member	Status of Membership
(1)	(2)	(3)
“1.	Dr. Maneesha Upendra Kothekar, Professor & Head of Department, Datta Maghe Ayurvedic Medical College Hospital and Research Centre,, Nagpur, Maharashtra	Chairperson”
Under sub-section (3) of section 4		
“1.	Dr. Allamprabhu Gudda, the President of the Board of Ayurveda;	<i>ex officio</i> Member
2.	Prof. Asim Ali Khan, the President of the Board of Unani, Siddha and Sowa-Rigpa;	<i>ex officio</i> Member
3.	Dr. Mukul Patel, the President of the Medical Assessment and Rating Board of Indian System of Medicine;	<i>ex officio</i> Member
4.	Dr. Sushrut Kanaujia, the President of the Board of Ethics and Registration for Indian System of Medicine;	<i>ex officio</i> Member”.

2. This notification shall come into force from the date of its publication in the official Gazette.

[F. No. Y.18011/8/2024-EP.III ( Part-II)]

SATYAJIT PAUL, Dy. Director General

**Note:** The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 2281(E), dated the 11<sup>th</sup> June, 2021 and was last amended *vide* notification number S.O. 221(E), dated the 19<sup>th</sup> March, 2024.